"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2015—ज्येष्ठ 1, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक कुमार लाऊत्रे आत्मज स्व. बाबूलाल, आयु 52 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 9 डी., सड़क नं. 82, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे बी.एस.पी. भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अशोक कुमार दर्ज है जबकि मेरे ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड में मेरा नाम अशोक कुमार लाऊत्रे दर्ज है. मेरा उपनाम लाऊत्रे है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अशोक कुमार लाऊत्रे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अशोक कुमार लाऊत्रे आत्मज स्व. बाबूलाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अशोक कुमार
आत्मज स्व. श्री बाबूलाल
निवासी-क्वा. नं. 9 डी., सड़क नं. 82,
वार्ड नं. 46, सेक्टर 6, भिलाईनगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

अशोक कुमार लाऊत्रे
आत्मज स्व. श्री बाबूलाल
निवासी-क्वा. नं. 9 डी., सड़क नं. 82,
वार्ड नं. 46, सेक्टर 6, भिलाईनगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती दीपमाला कैवर्त्य पति श्री राजू कैवर्त्य, उम्र 28 वर्ष, जाति केंवट, निवासी-बर्फानी आश्रम के पीछे, जीवन कालोनी, वार्ड नं. 19 राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) की हूं. यह कि मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर डिविजन के डोंगरगढ़ में ट्रेक मैन के इंजीनियरिंग विभाग में पदस्थ हूं. विवाह पूर्व मुझे कु. दीपमाला लारिया पिता श्री ईश्वर प्रसाद लारिया के नाम से जानी व पहचानी जाती थी तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय नौकरी, अर्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में कु. दीपमाला लारिया दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 13-5-2011 को राजू कैवर्त्य के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती दीपमाला कैवर्त्य रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं

अतः अब मुझे श्रीमती दीपमाला कैवर्त्य पति श्री राजू कैवर्त्य के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. दीपमाला लारिया पिता-श्री ईश्वर प्रसाद लारिया निवासी-जीवन कालोनी, राजनांदगांव तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	श्रीमती दीपमाला कैवर्त्य पति-श्री राजू कैवर्त्य निवासी-बर्फानी आश्रम के पीछे, जीवन कालोनी, वार्ड नं. 19 राजनांदगांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रतिमा गजभिये पति श्री संतोष गजभिये, उम्र 35 वर्ष, निवासी-मकान नं. 206, बुद्ध विहार रोड, वार्ड नं. 11, शंकर नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरी पुत्री अंजली गजभिये जिसकी जन्म तिथि 4-7-1997 है तथा मेरी दूसरी पुत्री रिषिका गजभिये जिसकी जन्म तिथि 23-1-1999 है के कक्षा पहली से लेकर कक्षा ग्यारहवीं, तथा कक्षा पहली से लेकर कक्षा आठवीं तक के अंक सूची में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती शालिनी गजभिये दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती प्रतिमा गजभिये रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती प्रतिमा गजभिये पति श्री संतोष गजभिये के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती शालिनी गजभिये पति-श्री संतोष गजभिये निवासी-मकान नं. 206, बुद्ध विहार रोड, वार्ड नं. 11, शंकर नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती प्रतिमा गजभिये पति-श्री संतोष गजभिये निवासी-मकान नं. 206, बुद्ध विहार रोड, वार्ड नं. 11, शंकर नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, घनश्याम धर दीवान आत्मज श्री हेमधर दीवान, उम्र 56 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 6 बी, सड़क 26, सेक्टर 9, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के समस्त दस्तावेज में मेरा नाम घनश्याम धर दर्ज हो गया है. मेरा उपनाम दीवान है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम घनश्याम धर दीवान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे घनश्याम धर दीवान आत्मज श्री हेमधर दीवान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
घनश्याम धर आत्मज-श्री हेमधर दीवान निवासी-क्वा. नं. 6 बी, सड़क 26, सेक्टर 9, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	घनश्याम धर दीवान आत्मज-श्री हेमधर दीवान निवासी-क्वा. नं. 6 बी, सड़क 26, सेक्टर 9, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश कुमार श्रीवास्तव आत्मज श्री भरत बहादुर श्रीवास्तव, उम्र 56 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 1 बी, सड़क 16, सेक्टर 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के समस्त दस्तावेज में मेरा नाम राजेश कुमार दर्ज है. मेरा उपनाम श्रीवास्तव है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राजेश कुमार श्रीवास्तव आत्मज श्री भरत बहादुर श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजेश कुमार आत्मज-श्री भरत बहादुर श्रीवास्तव निवासी-क्वा. नं. 1 बी, सड़क 16, सेक्टर 2, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	राजेश कुमार श्रीवास्तव आत्मज-श्री भरत बहादुर श्रीवास्तव निवासी-क्वा. नं. 1 बी, सड़क 16, सेक्टर 2, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति शर्मिष्ठा सरकार पति श्री शांतनु सरकार निवासी-कुम्हारी, तह. पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम सुनीता गुप्ता पिता श्री मनोरंजन गुप्ता था तथा मेरे समस्त अंकसूचियों में सुनीता गुप्ता आत्मजा मनोरंजन गुप्ता दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 18-1-1998 को श्री शांतनु सरकार के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति शर्मिष्ठा सरकार रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमति शर्मिष्ठा सरकार पति श्री शांतनु सरकार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुनीता गुप्ता पिता-श्री मनोरंजन गुप्ता निवासी-कुम्हारी, तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमति शर्मिष्ठा सरकार पति-श्री शांतनु सरकार निवासी-कुम्हारी, तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती वर्षा रामटेके पति श्री भारत भूषण रामटेके, निवासी-एम.आई.जी.-1/350, हुडको भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम कुमारी वर्षा राऊत आ. उमराव राऊत, छिंदवाड़ा म.प्र. (दमुआ) दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 29-1-2012 को श्री भारत भूषण रामटेके आ. जयलाल रामटेके के साथ हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती वर्षा रामटेके रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती वर्षा रामटेके पति श्री भारत भूषण रामटेके के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
वर्षा राऊत पिता-श्री उमराव राऊत निवासी-280, न्यू माइनर्स डबल मंजिल क्वाटर दमुआ पो. दमुआ, तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)	श्रीमती वर्षा रामटेके पति-श्री भारत भूषण रामटेके निवासी-एम.आई.जी. 1/350, हुडको, आमदीनगर भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 13 अप्रैल 2015

क्रमांक/उपंक/परि./2015/385.—जय भोले स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. पण्डरिया पंजीयन क्रमांक 01, विकासखंड पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के अध्यक्ष द्वारा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें समिति द्वारा विगत वर्षों से कोई कार्य न करते हुए अकार्यशील होना व समिति के सदस्यों द्वारा समिति संचालन में रूचि न लेना एवं छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 अंतर्गत समिति को सहकारी समिति में परिवर्तित करने की अनिच्छा का लेख करते हुए समिति का पंजीयन निरस्त करने का वर्णन है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ.ग. शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जय भोले स्वायत्त सहकारी समिति मर्यादित पण्डरिया पंजीयन क्रमांक 01 को इस आदेश के दिनांक 13-04-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71(1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. ध्रुव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को जय भोले स्वायत्त सहकारी समिति मर्या. पण्डरिया, पंजीयन क्र. 01 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 13-04-2015 को जारी किया गया है.

बी. के. ठाकुर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जीवित/2015/946.—खारंग जलाशय मछुआ सहकारी समिति मर्या. मेलनाडीह पं. क्र. 3674 दिनांक 29-06-1995 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर को पुनर्जीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री एन. आर. भगत, सहकारी निरीक्षक द्वारा पुनर्जीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा समिति सदस्यों की बैठक दिनांक 25-02-2015 को की गई है, जिसमें संस्था को पुनर्जीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करने का निर्णय लिया गया है साथ ही सरपंच, ग्राम पंचायत मेलनाडीह (खुंटाघाट) के द्वारा मत्स्य पालन हेतु तालाब देने की सहमती दी गई है के आधार पर सदस्यों के हित में श्री एन. आर. भगत, सहकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(4) के तहत् खारंग जलाशय मछुआ सहकारी समिति मर्या., मेलनाडीह पं. क्र. 3674 दिनांक 29-06-1995 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर को पुनर्जीवित करता हूं एवं आगामी 06 माह तक संस्था के कार्यकारिणी के कार्य संचालक हेतु तात्कालीन संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/947.—छ.ग. कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. नगरनिगम, बिलासपुर पं. क्र. 268 दिनांक 05-02-2009 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/242 दिनांक 22-01-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ.ग. कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. नगरनिगम, बिलासपुर पं. क्र. 268 विकास खण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. डी. कुल्हारा, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/948.—अम्बा साख सहकारी समिति मर्या. शास्त्रीनगर, बिलासपुर पं. क्र. 266 दिनांक 12-01-2009 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि/2015/237 दिनांक 22-01-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के तहत् अम्बा साख सहकारी समिति मर्या. शास्त्रीनगर, बिलासपुर पं. क्र. 266 विकासखण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा सुश्री संध्या सोनवानी, सहकारी निरीक्षक का उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/949.—राजीव गांधी मछुआ सहकारी समिति मर्या. जोंधरा, पं. क्र. 3735 दिनांक 17-01-1976 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि/2015/235 दिनांक 22-01-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के तहत् सूर्य राजीव गांधी मछुआ सहकारी समिति मर्या. जोंधरा पं. क्र. 3735 विकासखण्ड मस्तुरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. सी. ध्रुव, सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/950.—सूर्य उजाला अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति मर्या. केंवतरा, पं. क्र. 188 दिनांक 29-01-2005 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि/246/2015 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के तहत् सूर्य उजाला अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति मर्या. केंवतरा, पं. क्र. 188 विकासखण्ड मस्तुरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. सी. ध्रुव, सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/951.—छ.ग. महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिंधीकालोनी, बिलासपुर पं. क्र. 131 दिनांक 04-07-2002 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि/2015/238 दिनांक 22-01-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ.ग. महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सिंधीकालोनी, बिलासपुर पं. क्र. 131 विकासखण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा सुश्री संध्या सोनवानी सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/952.—शिवनाथ महिला मछुआ सहकारी समिति मर्या. दगौरी पं. क्र. 3827 दिनांक 28-12-1996 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि/2015/239 दिनांक 22-01-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के तहत् शिवनाथ महिला मछुआ सहकारी समिति मर्या. दगौरी, पं. क्र. 3827 दिनांक 28-12-1996 विकासखण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा कु. पूजा बोथरा, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/953.—महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धनगवां, पं. क्र. 552 दिनांक 05-12-2007 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि/2051/2015 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के तहत् महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धनगवां, पं. क्र. 552 विकासखण्ड मस्तुरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. सी. ध्रुव, सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/पुनर्जीवित/2015/1030.—जय महादेव मछुआ सहकारी समिति मर्या., सागर, पं. क्र. 139 दिनांक 19-12-2002 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को पुनर्जीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री एस. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा पुनर्जीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा समिति सदस्यों की बैठक दिनांक 13-03-2015 को की गई है, जिसमें संस्था को पुनर्जीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करने का निर्णय लिया गया है साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत सागर, जनपद पंचायत तखतपुर के द्वारा मत्स्य पालन हेतु तालाब 7 वर्षीय पट्टे पर दिया गया है अत: सदस्यों के हित में श्री एस. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(4) के तहत् जय महादेव मछुआ सहकारी समिति मर्या. सागर पं. क्र. 139 दिनांक 19-12-2002 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को इस शर्त पर "कि संस्था का रिकार्ड संधारण अद्यतन स्थिति तक संधारित करें, तातारीख कैशबुक लिखी जाकर नियमित अंकेक्षण कराई जावे एवं 7 दिवस के भीतर मतदाता सूची तैयार कर छ.ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर को संस्था के निर्वाचन हेतु विधिवत निर्धारित प्रारूप में आवेदन समयावधि में भेजेगी" पुनर्जीवित करता हूं एवं आगामी 06 माह तक संस्था के कार्य संचालक हेतु तात्कालीन संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/1158.—श्री सांई साख सहकारी समिति मर्या. लालखदान बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर पं. क्र. 238 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि/2015/792 दिनांक 7-3-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के तहत् श्री सांई साख सहकारी समिति मर्या. लालखदान बिलासपुर विकासखण्ड कोटा पं. क्र. 238 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/1201—महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिल्हा, पं. क्र. 112 दिनांक 31-05-2001 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि/2015/274 दिनांक 30-1-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के तहत् महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिल्हा, पं. क्र. 112 दिनांक 31-05-2001 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ए. के. शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला-कोण्डागांव

कोण्डागांव, दिनांक 9 अप्रैल 2015

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/स.प.को./परिसमापन/2015/91.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./103 दिनांक 28-02-2013 के द्वारा प्राथमिक श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या. डोगरीगुड़ा वि.ख. कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव जिसका पंजीयन क्रमांक/AR/BTR/534 दिनांक 23-01-2008 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. के. नामदेव व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां कोण्डागांव छ.ग. सह. समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 9-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कोण्डागांव, दिनांक 9 अप्रैल 2015

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/स.प.को./परिसमापन/2015/92—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./103 दिनांक 28-02-2013 के द्वारा प्राथमिक श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या. लखापुरी नवागांव मर्दापाल वि.ख. कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव जिसका पंजीयन क्रमांक/AR/BTR/510 दिनांक 19-05-2006 है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. के. नामदेव व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां कोण्डागांव छ.ग. सह. समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 9-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एन. बघेल,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.